

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद  
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती बिन्दू बाला राजावत आर.ए.एस.  
पत्रावली संख्या. 95/2025  
फिस्य :- प्रार्थना-पत्र  
दायर दिनांक : 20.06.2025

निर्णय दिनांक : 30.10.2025

—:अनवान:—

1. कालुगिरी पिता वरदागिरी जाति गुसाई निवासी सकरावास तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

—प्रार्थी

**बनाम**

1. लीला व्यास पत्नि कमलेश जाति ब्राह्मण निवासी कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार महोदय रेलमगरा जिला राजसमन्द

.....विपक्षीगण


वास्ते,

तहसीलदार रेलमगरा

जो कि मुल ही हुक्मनामा आपके पास भेजकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी की आराजी संख्या 1075 रकबा 0.441 हेक्ठर भूमि ग्राम सकरावास पटवार हल्का सकरावास तहसील रेलमगरा आप मौके पर जाकर उभयापक्षकारन की उपस्थिति में यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो एवं मौके पर निर्माण नहीं हो तो राजस्व रेकार्ड खाता एवं नक्शा ट्रेस अनुसार विधिवत रूप से नपती कर पत्थरगढ़ी के वक्त किसी के कब्जे में दखल नहीं करते हुये किसी प्रकार का कब्जा सूपुर्द नहीं किया जावे । फिस पत्थरगढ़ी 1000/- रूपये अक्षरे. एक हजार रूपये प्रार्थी से वसुल कर राज कोष मे जमा करावे। बाद तामिल हुक्मनामा फसल कटाई के पश्चात् पत्थरगढ़ी पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें।

यह हुक्मानामा आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



  
(बिन्दू बाला राजावत RAS)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा  
राजसमंद